छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 678/2007

1.	**श्री मनोज कुमार त्रिपाठी,** **अधिवक्ता, लोरमी,** **जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	***जन सूचना अधिकारी,*** **विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,** **लोरमी,** **जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//आदेश//

(दिनांक 31 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रति अपीलार्थी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष दिनांक 08.05.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसके बाद भी जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील दिनांक 05.07.2007 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जानकारी का संबंध प्राचार्य, शासकीय एच0सी0डी0 बालिका, उच्चतर मा0 विद्यालय, लोरमी से था और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने जानकारी हेतु प्राचार्य को कई बाद पत्र लिखना बताया है, किन्तु वहॉं से उत्तर नही आने के कारण आयोग द्वारा प्राचार्य को जन सूचना अधिकारी माना जाकर धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 15000/- रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । बाद में अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.07.2007 को जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके यहॉं जानकारी आना बताकर अपीलार्थी को बुलाया था किन्तु जानकारी नही दी, अत: जिला शिक्षा अधिकारी को भी दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में यह बताया गया कि उनके द्वारा समय पर जानकारी दी

गई है और जैसी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी, वैसी जानकारी देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था और बाद में अपीलार्थी ने ही जानकारी लेने से यह कहकर माना किया कि उन्होंने आयोग में अपील की है, अतः आयोग के आदेश से ही उक्त जानकारी प्राप्त करेंगे और बाद में उन्होंने रजिस्ट्री डाक से चाही गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई है । उपरोक्त स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नही होती है, अतः उनके विरूद्ध जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । जहॉं तक प्राचार्य, शासकीय एच0सी0डी0 बालिका, उच्चतर मा0 विद्यालय, लोरमी का प्रश्न है बीच में एक दिन प्राचार्य उपस्थित हुये थे और उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर हेतु समय चाहा गया था, साथ ही जानकारी देने के लिए निर्देश भी दिये गये थे, किन्तु आगामी दिनांक को प्राचार्य भी उपस्थित नही हुये तथा उन्होंने कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर भी प्रस्तुत नही किया है और अपीलार्थी का यह कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी दी गई है, वह अपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने 14 शिक्षकों की जानकारी चाही थी और उन्हें 6 शिक्षकों की जानकारी मिली है, साथ ही प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं उसकी अंकसूची के बारे में जानकारी चाही गई थी वह भी नही मिली है और प्राचार्य से व्यक्तिगत जानकारी उनके पास उपलब्ध नही होना बताया है । उपरोक्त स्थिति में प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अपूर्ण जानकारी भेजना सिद्ध होता है और उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर भी नही दिया गया है तथा जानकारी देने में विलंब भी किया है, अतः उक्त विलंब और अपूर्ण जानकारी के लिए श्री एस0के0 काठले, प्राचार्य, शासकीय एच0सी0डी0 बालिका, उच्चतर मा0 विद्यालय, लोरमी के विरूद्ध अधिनियिम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 5000/- (पॉंच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही उन्हें यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी द्वारा चाही गई पूर्ण जानकारी में से शेष रही जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही इस संबंध में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्राचार्य के प्रशिक्षण एवं अंकसूची के बारे में जांच कराये और आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करें तथा कार्यवाही उपरान्त कार्यवाही की सूचना भी अपीलार्थी को एक माह के अन्दर दिलवाई जावे । प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त